

उ.म.रे. के सा. एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-66, दिनांक-03.12.2020 का राजभाषा में अनुवाद
(संदर्भ: महाप्रबन्धक/उमरे के ई-आफिस आदेश के अनुसार, दिनांक- 02.11.2020)

01. वर्तमान सहायक नियम 3.78/4(iv) को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है ।

सं.- याता/सामा./संशोधन पर्ची /22/20

दिनांक : 19.07.2021.



(बिप्लव कुमार)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली ।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज ।
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक- उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे ।
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे ।
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे ।



(बिप्लव कुमार)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

इकाई

पृष्ठ संख्या- 01 (कुल 01 पृष्ठ)